

भारतीय मानक ब्यूरो  
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिन्ह लगाने की अनुज्ञप्ति

Licence for the use of STANDARD MARK

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) सं. सीएम/एल 7714781

LICENCE NO. CM/L - 7714781

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मेसर्स किमप्लास पाईपिंग सिस्टम लि.  
बी-20, एमआयडीसी, अंबाड,  
जिला नासिक  
महाराष्ट्र - 422010

को (जिसे इसमें आगे अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कालम में दिखाए गए मानक चिन्ह का उपयोग करने को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करती है। इस मानक चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण के संबंध में किया जाएगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कॉलम में किया गया है। यह वस्तु/प्रसंस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कालम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986(63 of 1986) the BUREAU hereby grants to

M/s KIMPLAS PIPING SYSTEMS LIMITED,  
B-20, MIDC, AMBAD,  
Distt: Nashik  
Maharashtra - 422010

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के साथ ये अधिकार और बाध्यताएं हैं जिनका अनुबंध उक्त अधिनियम के आधीन बनाए गए विनियमों में हैं। अनुज्ञप्तिधारी अपनी बाध्यताओं का अनुसरण करते हुए, इसकी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित चिन्ह लगाने की नित फीस सम्यक् रीति से और नीयत समय पर देगा तथा परीक्षण और निरीक्षण की उस स्कीम को, जिसकी प्रति संलग्न है, ब्यूरो की संतुष्टि के अनुरूप चलाएगा।

2. This licence carries the rights and obligations stipulated in the Regulations made under the above mentioned Act. In pursuance of this obligation, the licensee shall pay in due manner and time the scheduled Marking Fee set out in the, Second Schedule hereto and maintain to the satisfaction of the BUREAU the Scheme of Testing and Inspection a copy of which is attached hereto.

3. यह अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) 2 मार्च 2007 से 1 मार्च 2008 तक विधिमान्य

रहेगी और विनियमों में विहित रूप में इसका नवीकरण हो सकेगा।

3. This licence shall be valid from SECOND MARCH, TWO THOUSAND SEVEN to FIRST MARCH, TWO THOUSAND EIGHT and may be renewed as prescribed in the Regulations.

आज दो हजार नौ के जून मास के चौथे दिव  
हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित।

Signed, Sealed and Dated this FOURTH day of JUNE TWO THOUSAND NINE

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से  
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS


एस. वी. शर्मा

निदेशक एवं प्रमुख (एमडीएम -I)

Director & Head (MDM-I)

प्रथम

THE FIRST SCHEDULE

<p>मानक चिह्न STANDARD MARK (1)</p>	<p>वस्तु/प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (2)</p>	<p>भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S) (3)</p>
<p>IS 12785                        CML/7714781</p>	<p>सिंचाई उपस्कर - स्ट्रेनर टाइप फिल्टर  संलग्न परिशिष्ट 1 के अनुसार  Irrigation Equipment - Strainer type Filter  As per Annexure -I</p>	<p>भा. मा. 12785 : 1994  सिंचाई उपस्कर- स्ट्रेनर टाइप फिल्टर-विशिष्ट  IS 12785: 1994  Irrigation Equipment - Strainer-type Filters - Specification</p>

**द्वितीय अनुसूची**  
**THE SECOND SCHEDULE**

अनुसूचि (लाइसेंस) संख्या सीएम/एल 7714781 के लिए चिन्ह लगाने की फीस की अनुसूची  
SCHEDULE OF MARKING FEE FOR LICENCE NO. CM/L- 7714781

वस्तु प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (1)	इकाई UNIT (2)	प्रति इकाई चिन्ह लगाने की फीस MARKING FEE PER UNIT (3)	भुगतान की रीति MANNER OF PAYMENT (4)
<p>सिंचाई उपस्कर – स्ट्रेनर टाइम फिल्टर</p> <p>संलग्न परिशिष्ट 1 के अनुसार</p> <p>Irrigation Equipment – Strainer type Filter</p> <p>As per Annexure -I</p>	<p>1 फिल्टर</p> <p>ONE FILTER</p>	<p>सभी इकाईयों के लिए रु.5.22 के साथ न्यूनतम रु.32,200/- एक प्रचालन वर्ष की अवधि के दौरान।</p> <p>Rs.5.22 per unit for all the units with a minimum marking fee of Rs. 32200/- during an operative period of one year.</p>	<p>क) लाइसेंस के एक वर्ष लागू रहने के लिए न्यूनतम फीस अग्रिम देय होगी और यह फीस अगले नवीकरण(नवीकरणों) के लिए जमा रहेगी।</p> <p>(a) Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s).</p> <p>ख) लाइसेंस के पहले नवीकरण के समय लागू अवधि के पहले नौ महीनों के लिए लगे उत्पादन पर इकाई दर से बचने वाली चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, मुंबई में देय होगी। बाद के नवीकरणों के लिए 12 महीने की अवधि के लिए चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस, जिसमें पिछली लागू अवधि के अन्तिम तीन महीने और चालू अवधि के पहले नौ महीने शामिल होंगे या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, देय होगी।</p> <p>(b) Actual marking fee for the first nine months of the operative period calculated on the unit rate on the production marked on the minimum fee, whichever is higher, shall be payable at Mumbai at the time of the first renewal of the licence. For subsequent renewals, the actual marking fee for 12 months/period consisting of last three months of previous operative period and first nine months of the current operative period or the minimum fee, whichever is higher, shall be payable.</p>

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से  
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

*एस. की. खैर*

निदेशक एवं प्रमुख (एमडीएम -I)  
Director & Head (MDM-I)